(39) 264

न्यायालय में:- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

पनबोधी पिता सम्हारू बैगा, निवासी- ग्राम-पलसऊ, तहसील व थाना-गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) --- आवेदक

R-770-III/13

बनाम

1- श्रीमती सुभद्री बाई बेवा भीखम चौधरी, निवासी ग्राम- पलसऊ, तहसील व थाना-गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.)

2- मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदकगण

852 / 31.12.12

निगरानी विरुद्ध निर्णय श्रीमान् नायब तहसीलदार गोहपारू के रा.प्र.क्र. 45/अ-12/2009-2010 में त्रुटिट सीमांकन आदेश दिनांक 30.03.10 भूमि ग्राम-पलसऊ, तहसील-गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959,

मान्यवर,

आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि:-

निगरानी का संक्षेप

::::::::::::::::

यह कि, ग्राम- पलसऊ की आराजी ख.नं. 477/2 की भूमिस्वामी अनावेदिका क्र. 1 है तथा 476 व 468के भूमिस्वामी आवेदक है । इस प्रकार प्रस्तुत नक्शे में व मौके से आवेदक एवं अनावेदक क्र. 1 सरहद्दीकाश्तकार है । अनावेदक क्र. 1 ने भूमिह ग्राम पलसऊ की आराजी ख.नं. 477/2 का सीमांकन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया । जिसमें राजस्व निरीक्षक गोहपारू के द्वारा बिना नक्शा-तरमीम के ही सीमांकन कर दिया गया । सीमांकन के समय न तो सरहद्दी काश्तकारों को सूचना भेजी गई और न ही आवेदक को लिखित रूप से कोई सूचना सीमांकन के संबंध में दी गई ।

आवेदक सरहद्दी काश्तकार है तथा आवेदक के ~~मौके-मौके~~ आवेदक के ही भूमि को नापकर अनावेदक क्र. 1 को बता दी गई । बिना नक्शा-तरमीम, बटांकन

/2/

(39)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R770-II/13 जिला–शहडोल

मनबोधी बैगा/ श्रीमती सुभद्री बाई

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोहपारू के प्रकरण क्रमांक 45/अ–12/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। ((महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	